jktdh; f'k{kd f'k{kk egkfo|ky; /kez'kkyk ftyk dkaxMk] fgekpy izns'k ds Nk= fuf/k ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vads{k.k vof/k 10@89 ls 3@12

1 xr vads{k.k izfrosnu%&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पड़े पैरों के निपटारे हेतु संस्था द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रत्येक अंकेक्षण के उपरान्त इन पैरों की संख्या में बढ़ौतरी ही रही है जो सन्तोषजनक नहीं है। अतः समस्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पड़े पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु तुरन्त आवष्यक पग उठाये जाये व उतर सटिप्पण रूप से षीध्र इस विभाग को प्रेषित किए जाएं ताकि अनिर्णीत पड़े पैरों का निपटारा किया जा सके। संस्थाध्यक्ष से पुनः आग्रह है कि वह व्यक्तिगत रूचि लेकर इस प्रकरण में समुचित कार्रवाई हेतु प्रयास करें। इसके अतिरिक्त प्राचार्य, राजकीय षिक्षक षिक्षा महाविद्यालय के पत्र संख्या षिक्षा/जी0सी0टी0ई0/आडिट–फंड/2012–232 दिनांक 31.7.12 अनुसार अवधि 1/76 से 3/89 के अंकेक्षण प्रतिवेदन समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये जिनकी प्रतियॉ सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त करके अनिर्णीत अंकेक्षण आपत्तियों का निपटारा भी किया जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के षेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन/सत्यापन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति परिषिष्ट "ए" पृष्ठ 1 से 7 तक में दी गई है

अभिलेख में अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/89 तक की प्रति उपलब्ध न होने व अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही न करने से सम्बन्धित प्रकरण आवष्यक उचित कार्यवाही किये जाने हेतु मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विषेष रूप से लाया जाता है।

vads{k.k vof/k ds nkSjku fuEufyf[kr iz/kkukpk;Z us vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ds :Ik esa dk;Z fd;k%&

Ø0 l0	i/kkukpk;Z dk uke	vof/k
1	श्रीमति अक्षरा कुमारी	28.11.88 से 30.11.89
2	श्री रणधीर चन्द कटोच	09.04.90 से 31.12.91
3	श्री प्रभा षंकर मिश्रा	07.02.92 से 28.02.92
4	श्री मुकुट बिहारी गौतम	29.02.92 से 31.07.92
5	श्रीमति आनदी अग्निहोत्री	01.08.92 से 31.05.95
6	श्री सुरेन्द्र पाल सेठी	11.08.95 से 17.04.00
7	श्री मनमोहन बेदी	21.03.01 से 30.04.01
8	श्री डी0एन0कपूर	13.11.01 से 31.08.02
9	श्री सतीष चन्द षर्मा	09.09.02 से 25.02.04
10	श्री राषि भूषण सेखड़ी	25.02.04 से 26.07.06
11	श्रीमति रीता महाजन	03.07.06 से 31.10.07
12	श्रीमति सुमन सूदन	04.04.08 से 30.09.08
13	श्री कर्म चन्द	01.10.08 से 21.03.11
14	श्री अजय लखनपाल	30.05.11 से लगातार

Hkkx&nks

3 orZeku vads{k.k&

राजकीय षिक्षक षिक्षा महाविद्यालय, धर्मषाला के निधि लेखों अवधि (10/89 से 3/12) का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, सर्वश्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा श्री भवनीष पुरी (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 11.6.12 से दिनांक 4.8.12 तक के दौरान धर्मषाला में किया गया। निम्नलिखित माह 12/89, 8/90, 8/91, 8/92, 12/93, 12/94, 12/95, 12/96, 7/97, 8/98, 7/99, 8/00, 8/01, 7/02, 9/03, 9/04, 7/05, 8/06, 8/07, 8/08, 10/09, 8/10 व 7/11 आय तथा माह 3/90, 1/91, 11/91, 12/92, 12/93, 10/94, 12/95, 12/96, 12/97, 12/98, 8/99, 6/00, 5/01, 2/03, 3/04, 9/04, 11/05, 11/06, 11/07, 10/08, 4/09, 10/10 व 3/12 व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित किए गए।

अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना या जो सूचना प्रदान नहीं की गई है, उसकी जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

4 vd{k.k 'kYd&

राजकीय षिक्षक षिक्षा महाविद्यालय, धर्मषाला के निधि लेखों का अंकेक्षण षुल्क, निम्न विवरणानुसार ₹146000/– बनता है।

o"kZ	fuf/k;k l vk;	vd{k.k 'kYd
10/89–03/90	40585.90	4000
1990–91	103524.00	4000
1991–92	178418.00	4000
1992–93	167218.00	4000
1993–94	163753.00	4000
1994–95	235705.00	7000
1995–96	201108.00	7000
1996–97	216449.00	7000
1997–98	337548.00	7000
1998–99	396578.00	7000
1999–2000	573575.00	7000
2000–01	316175.00	7000
2001–02	287036.00	7000
2002–03	313563.00	7000
2003–04	489045.00	7000
2004–05	675208.00	7000
2005–06	686197.00	7000
2006–07	1692921.00	7000
2007–08	1114084.00	7000

2008—09	895323.00	7000
2009—10	1040946.00	7000
2010—11	922005.00	7000
2011—12	1140372.00	7000
	dqy ;kx	146000

उपरोक्त अंकेंक्षण षुल्क की राषि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला—171009 को भेजने बारे प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 106 दिनांक 3.8.12 द्वारा अनुरोध किया गया।

5 foÙkh; fLFkfr%&

राजकीय षिक्षक षिक्षा महाविद्यालय, धर्मषाला के निधि लेखों की अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति परिषिष्ट "बी" पृष्ठ 1 से 22 तक व परिषिष्ट "सी" पर वर्णित है जिसके अनुसार रोकड़ वही व सावधि निवेष के रूप में ₹7010311.71/—की राषि जमा पाई गई।

6 fuos'k%&

¼d½ विभिन्न छात्र निधियों से दिनांक 31.3.2012 तक राषि ₹4317094/—का निवेष किया गया पाया गया, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिषिष्ट "सी" पर संलग्न है। यह राषि उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति में सम्मिलित है।

¼[k½ ₹23-0 yk[k@& dh lkof/k tek jkf'k;ksa dks jksdM+ ogh ls vfu;fer@vuqfpr iwdkj ls de djus ckjs%&

छात्र निधि की रोकड़ वही की जांच में यह पाया गया कि विभिन्न छात्र निधियों में से सावधि जमा के रूप में निवेषित राषि को सम्बन्धित निधि में से कम कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित निधि का अन्तषेष कम दर्षाया गया जो कि लेखांकन के नियमों के विपरीत है। रोकड़ वही से सम्बन्धित निवेष की राषि कम कर दिये जाने व आगामी वर्षों में इसे व इस पर अर्जित ब्याज को रोकड़ वही में लेखांकित न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है तथा किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य के लिए यह

सुझाव दिया जाता है कि दिनांक 31.3.12 तक रोकड़ वही में से कम की गई राषि को पुनः रोकड़ वही में निधिवार दर्ज किया जाये ताकि रोकड़ वही में अन्तषेष की सही स्थिति परिलक्षित हो सके। दिनांक 31.3.12 तक सावधि जमा के रूप में निवेषित मूल राषि जिसे रोकड़ वही में कम कर दिया, का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "डी" पर दिया गया है। पूर्ण निपटारा कर दिये जाने के पष्चात इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

¼x½ <u>lkof/k tek jkf'k;ksa ij C;kt dks :Ik esa vftZr vk; ₹2017094@&dh izfof"V jksdM+ ogh esa u djuk&</u>

निवेष/रोकड़ वही की जांच में यह पाया गया कि दिनांक 31.3.12 तक विभिन्न सावधि जमा राषियों पर बैंक द्वारा क्रेडिट किये गये ब्याज ₹2017094/–की प्राविष्टियां रोकड़ वही में नहीं की गई थी जिनका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "डी" पर दिया गया है। सावधि निवेष में समय–2 पर अर्जित ब्याज को रोकड़ वही में लेखांकित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह सुझाव भी दिया जाता है कि परिषिष्ट "डी" में वर्णित ब्याज की राषि की प्रविष्टि रोकड़ वही में निधि वार की जानी सुनिष्चित की जाये ताकि रोकड़ वही में अन्तषेष की सही स्थिति परिलक्षित हो सके तथा संस्था द्वारा पूर्ण निपटारा कर दिये जाने के पष्चात इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼?k½ <u>ifjiDork mijkUr lkof/k tek dh jkf'k ₹133800@&dh izfof"V jksdM+ ogh@cSad ys[kk esa tek u djds lEHkkfor nqfoZfu;kstu&</u>

सावधि जमा राषियों से सम्बन्धि अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि दिनांक 9.10.95 को मिश्रित निधि में से के0सी0सी0 बैंक धर्मषाला में निवेषित राषि ₹50000/–(एफडीआर नं0 17409) एवं ₹25000/–/–(एफडीआर नं0 174411) को परिपक्वता पर दिनांक 1.7.03 को भुनाने पर ब्याज सहित क्रमषः ₹96051/–एवं ₹53035/–अर्थात कुल ₹96051+₹53035=₹149086/– की राषि प्राप्त हुई। चूंकि संस्था द्वारा सावधि जमा में निवेषित राषि को रोकड़ वही से कम/घटा दिया जाता था जिस कारण उपरोक्त प्राप्त पूर्ण राषि को रोकड़ वही में दर्ज करना अपेक्षित था, परन्तु रोकड़ वही के अवलोकन पर यह पाया गया कि दिनांक 12.8.03 को मिश्रित निधि में केवल ₹15286/–की आय ही दर्ज की गई जिसकी पुष्टि बैंक खाता सं0 150003 (SBI) में जमा राषि ₹15286/–से की गई। अतः राषि ₹133800/–(149086–15286=133800) का लेखांकन रोकड़ वही/बैंक में न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है तथा राषि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी दर्षाता है। ₹133800/– की राषि को

रोकड़ वही व बैंक में जमा न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व राषि ₹133800/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित छात्र निधि में जमा की जानी भी सुनिष्चित की जाये। उपरोक्त प्रकरण आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विषेष रूप से लाया जाता है।

¼3½ lkof/k tek jkf'k;ksa ij cSadks }kjk ₹5288@& ls de C;kt nsus ckjsA&

निवेशों की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक बैकों द्वारा सावधि जमा राषियों पर कम ब्याज दिया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

,Q0Mh0vkj0 cSad	fnukad	fuos'k jkf'k	ifjiDork dh fnukad	ifjiDork ij vkisf{kr jkf'k	izkIr jkf'k	vUrj
01202050339.43 S.B.P.	21.7.09	53750.00	21.07.08	59041	58485	556
549013 S.B.P.	21.7.09	63637.00	21.7.10	68378	67434	944
55096993463 SBP	30.9.08	232042	30.9.09	255934	254009	1925
PR00010903 PNB	14.8.10	570013	14.8.11	609474	607983	1491
PR10995 PNB	14.8.10	142205	14.8.11	152368	151996	372
					;ksx	5288

अतः उपरोक्त राषि ₹5288/–की वसूली सम्बन्धित बैंकों से चक्रवृद्धि ब्याज सहित की जानी सुनिष्चित करके छात्र निधि लेखा में जमा की जाए।

¼p½ ifjiDork mijkUr] lkof/k tek jkf'k;ksa dks nksckjh fuf/k;ksa esa tek djokus ckjsA&

दिनांक 29.9.99 को विभिन्न छात्र निधियों में से कुल राषि ₹200000/—संकलित रूप में सावधि जमा में के0सी0सी0 बैंक धर्मषाला में निवेषित की गई परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उपरोक्त निवेष हेतु विभिन्न निधियो मे से कितनी राषि प्रयोग/निवेष में लाई गई। जबकि परिपक्वता पर प्राप्त राषि को निम्न विवरणानुसार विभिन्न निधियों में जमा किया गया।

Ø0 l0	ifjiDork dh fnukd	ifjiDork ij ikIr jkf'k	ftl fuf/k e: jkf'k tek dh xbl	fVIi.kh
1	3.12.06	325828	मिश्रित निधि	केवल ब्याज ₹125828 जमा किया गया
2	30.9.09	254009	भवन निधि	₹200000.00
			परीक्षा निधि	₹50000.00
			ब्रेकेज निधि	₹4008.00

अतः संस्था स्तर पर इस तथ्य की छान—बीन की जाये कि विभिन्न छात्र निधियों में से सम्बन्धित रूप में निविषित राषियों को परिपक्वता उपरान्त, सम्बन्धित छात्र निधियो में निवेषित अनुपात में जमा किया गया है अथवा नहीं तथा यदि सम्बन्धित निधि में राषि को जमा नहीं किया गया है तो अब लेखों को सही किया जाये ताकि निधियों के दुरूपयोग की सम्भावना से बचा जा सके।

7 dky:t fMyfiMs'ku Q.M d: :Ik e: jkf'k ₹1422@&dh de olyh ckjs&

छात्र निधियों की प्राप्तियों की जांच पर पाया गया कि वर्ष 1996—97 में माह 12/96 में फीस प्राप्ति रजिस्टर के पेज संख्या 123 से 132 पर 232 विद्यार्थियों से तथा उपरोक्त रजिस्टर के पेज संख्या 134 पर 5 विद्यार्थियों से कालेज डिलेपिडेषन फण्ड की ₹6/—प्रति विद्यार्थी की दर से वसूली

नहीं की गई। इस प्रकार कुल 237 विद्यार्थियों से ₹6/—प्रति विद्यार्थी की दर से कालेज डिलेपिडेषन फण्ड हेतु राषि ₹1422/—बनते है। अतः उपरोक्त विद्यार्थियों से ₹1422/—कालेज डिलेपिडेषन फण्ड हेतु वसूल न करने का कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹1422/—की वसूली कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

8 jM Øk l fuf/k d: :Ik e: jkf'k ₹741@&dh olyh u dju ckj&

छात्र निधियों की प्राप्तियों की जांच पर पाया गया कि वर्ष 1996—97 में 247 विद्यार्थियों से ₹3/—प्रति विद्यार्थी की दर से राषि ₹741/—रैड क्रास निधि के रूप में वसूल नहीं किये गये और न ही महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण में फीस से सम्बन्धित कोई ऐसा सर्कुलर/पत्र/अभिलेख इत्यादि प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वर्ष 1996—97 में विद्यार्थियों से रैड क्रास निधि की वसूली नहीं की जानी थी। अतः रैड क्रास निधि के रूप में राषि ₹741/—की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹741/—की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके सम्बन्धित छात्र निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 ifDVdy fo"k;k l: lEcfU/kr 'kYd dh olyh d: lUnHk e&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2005—06 में केवल 1 विषय से सम्बन्धित प्रैक्टिकल षुल्क ₹13/—प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से वसूल किया गया जबकि वर्ष 2006—07, 2007—08 व 2008—09 में 3 विषयों से सम्बन्धित प्रैक्टिकल षुल्क (प्रति विषय हेतु) ₹13/—प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से वसूल किया गया तथा वर्ष 2009—10 में 5 विषयों से सम्बन्धित प्रैक्टिकल षुल्क (प्रति विषय हेतु) ₹13/—प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से वसूल किया गया। परन्तु अंकेक्षण के दौरान कोई ऐसी अधिसूचना/अभिलेख/रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सुनिष्चित किया जा सके कि किस वर्ष में कितने विषयों से सम्बन्धित प्रैक्टिकल षुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अतः इस सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर जांच की जाए व उपरोक्त वर्षों में जिन प्रैक्टिकल विषयों से सम्बन्ध में प्रैक्टिकल षुल्क की वसूली नहीं की गई है कि गणना की जानी सुनिष्चित की जाये व तदानुसार वसूली सुनिष्चित कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 f'k{kk 'kYd d: :Ik e: jkf'k ₹500@& dh de olyh dju ckj&

वर्ष 1997–98 के मांग व प्राप्ति रजिस्टर के पेज संख्या 155 पर सतीष कुमार रोल नं0 55 से षिक्षा षुल्क के रूप में ₹100/–वसूल किये दर्षाये गये है जबकि उक्त छात्र से 6 माह हेतु षिक्षा षुल्क के रूप में ₹600/–लिये जाने अपेक्षित थे। इस प्रकार उक्त छात्र से षिक्षा षुल्क के एवज में ₹500/–कम वसूल किये गये जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कम वसूल की गई राषि को चूककर्ता से वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 gkLVy fuf/k;k d: :Ik e: jkf'k ₹450@&dh de olyh ckj%&

अभिलेख की जांच पर पाया गया कि माह 2/99 में मांग व प्राप्ति रजिस्टर के पेज संख्या 30 व 31 पर नवीन डोगरा रोल नं0 350 से 6 माह हेतु होस्टल निधियो के रूप में ₹450/–वसूल नहीं किये गये जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व वसूल न की गई राषि की वसूली षीध्र दोषी से करके सम्बन्धित होस्टल निधियों मे जमा करवाना सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 iLrdky; tekur jkf'k;k l lEcfU/kr jkdM ogh d j[k&j[kko ckj%&

महाविद्यालय प्रषासन द्वारा पुस्तकालय जमानत राषियों का रख रखाव अन्य छात्र निधियों से अलग रोकड़ वही में किया गया था। उक्त रोकड़ वही की जांच में यह पाया गया कि इस रोकड़ वही मे पुस्तकालय जमानत राषि के साथ एन0सी0ई0आर0टी0, एस0सी0ई0आरटी0, वी0जी0सी0 से प्राप्त अनुदान राषि/निदेषक षिक्षा विभाग से प्राप्त राषि/छात्रावास जमानत राषि/कोषन फीस एवं अन्य विविध आय–व्यय का रख रखाव संकलित रूप से किया गया था, जिस कारण जमानत राषियों की सही वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जमानत राषियों को छोड़कर, अन्य राषियों के लिये अलग से रोकड़ वही को प्रयोग से लाया जाये ताकि जमानत राषियों की सही वित्तीय स्थिति का आंकलन सम्भव हो सके।

13 ijku lekpkj i=k@if=dkvk dh jnnh dh fcØh l iklr vk; ckj%&

पुस्तकालय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि पुस्तकालय हेतु 11 प्रकार के दैनिक समाचार पत्र/21 तरह के मासिक, त्रिमासिक पत्रिकाओं का क्रय छात्र निधि से किया जा रहा है, परन्तु उपरोक्त समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की रददी की बिक्री से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

14 fefJr fuf/k e: l: dk;y: dh [kjhn dju: ckj‰&

चयनित महीनों के भुगतान वाऊचरो की जांच के दौरान यह पाया गया कि महाविद्यालय प्रषासन द्वारा हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेष 1973–खण्ड–II के अध्याय 42.2 के नियमों के विपरीत कार्यालय प्रयोग हेतु मिश्रित निधि में से कोयले की खरीद की गई थी, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है।

ok0 l0	fnukd	vfxe jkf'k e: nh xbl jkf'k	ftl: vfxe jkf'k nh xbl	dk;y: dh [kjhn ij [kpl dh xbl jkf'k	fVII.kh
60–61	26.11.91	6500	श्री रणधीर सिंह	4003	षेष बची
104	16.12.93	500	श्री मोहिन्द्र सिंह	447	राषि
19	16.12.96	6965	श्री रणधीर सिंह	6312	A.F. में
26	30.12.97	5100	श्री रणधीर सिंह	5100	जमा
		–	M/S V.K. coal-co D/Shala Bill 61 dt. 10.12.97	4400	करवा दिया गया था
				20262	

अतः संस्था स्त्तर पर इस तरह के समस्त प्रकरणो की छानबीन की जाये तथा नियमों के विपरीत खर्च की गई राषि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमितिकरण करवाया जाये अन्यथा अनियमित रूप में व्यय की गई राषि की प्रतिपूर्ति/वसूली उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जायें।

15 fo'ofo|ky; dh ijh{kk d: l:pkyu g:r] fefJr fuf/k l: Hk:xrku dju: ckj‰&

वाऊचर संख्या 25(118) दिनांक 19.12.97 एवं वाऊचर संख्या 27(124) दिनांक 24.12.97 की जांच के दौरान यह पाया गया कि श्री अनूप कुमार (लिपिक) को क्रमषः ₹2000/– एवं ₹1500/– की राषि अग्रिम के रूप में षैक्षणिक सत्र 1997–98 की 1st sem. के परीक्षा के संचालन हेतु मिश्रित निधि मे से दी गई जो कि उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। राषि ₹3500/–की प्रतिपूर्ति विष्वविद्यालय/उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जायें।

16 Nk= fuf/k;k dk dk;ky;@fuf/k mi;kx gr [kp dju ckj&

चयनित महीनों के भुगतान वाऊचरों की जांच में यह पाया गया कि महाविद्यालय प्रषासन द्वारा हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेष 1973 खण्ड–II के अध्याय 42.2 में वर्णित प्रावधानो की अवहेलना करते हुये, विभिन्न छात्र निधियो को कार्यालय/निजि उपयोग हेतु खर्च किया गया जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

ok0 l0	fnukd	ftl Hkxrku fd;k x;k	fcy u0 fnukd	jkf'k	Hkxrku dk fooj.k	fuf/k
20 (105)	26.12.96	मै0 सुभाष ब्रोस धर्मषाला	877 षून्य	350	एफ0आर0, एस0आर0 लीव रूल्स बुक्स	ए0एफ0
20 (105)	26.12.96	–यथोपरि–	1785 10.5.96	115	–यथोपरि–	ए0एफ0
20 (109)	26.12.96	मै0 दुर्गे फोटोस्टेट धर्मषाला	1069 षून्य	2597	फोटोस्टेट ऑफ आफिस यूज	ए0एफ0
23 (111)	15.12.97	मै0 प्रज्ञा अनुसंधान केन्द्र हरिद्वार	षून्य षून्य	110	एक्यूप्रेषर बुक	ए0एफ0
23 (112)	15.12.97	मै0 स्टैन्डर्ड बुक डिपो धर्मषाला	2125 20.11.97	207	एच0ए0एस0 एन्टरेन्स बुक	ए0एफ0
24 (116)	15.12.97	मै0 मै0 सूद कापोरेषन धर्मषाला	षून्य	1000	यू0सी0 ऑफ यू0जी0सी0 ग्रान्ट	ए0एफ0
24 (117)	15.12.97	–यथोपरि–	षून्य	1000	–यथोपरि–	ए0एफ0
22(112)	18.6.2000	मै0 भावा कोरनर धर्मषाला	2808 4.4.09	315	केलकुलेटर परचेस्ड	ए0एफ0
23	20.11.07	मै0 डेड वाल स्टेंषनस धर्मषाला	449 22.9.07	720	एचपी0एफआर, एस0आर0 बुक्स	ए0एफ0
24	20.11.07	मै0 सन्दीप एजेन्सी धर्मषाला	847 27.9.07	250	केलकुलेटर परचेस्ड	ए0एफ0

अतः इस तरह के समस्त प्रकरणों की संस्था स्तर पर छानबीन की जाये तथा नियमों के विरूद्ध अनियमित प्रकार से व्यय की गई राषि की प्रतिपूति उचित स्त्रोत से करके राषि सम्बन्धित निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाये व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 nfud HkŸk ¼Myh vykUl½ d lkFk ifrfnu d fy; ;k=k HkŸkk ¼ekbyt vykUl½ dk Hkxrku dju ckj%&

चयनित महीनों में एसपीटीपी निधि से सम्बन्धित भुगतान वाउचरों की जांच में यह पाया गया कि टीचिंग प्रेक्टिस की अवधि के दौरान, विभिन्न टीचिंग प्रेक्टिस स्थलों पर नियुक्त प्राध्यापकों को, धर्मषाला से नियुक्त स्थल तक प्रत्येक दिन का आने व जाने का किराया तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार नियुक्ति स्थल पर जाने का, कार्य समाप्ति उपरान्त अर्थात टीचिंग प्रेक्टिस पूर्ण होने पर धर्मषाला आने का किराया ही देय था क्योंकि टीचिंग प्रेक्टिस अवधि के दौरान प्राध्यापकों द्वारा कालेज में अर्थात हेड क्वार्टर में उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई थी। प्रतिदिन के लिये किराये के रूप में भुगतान की गई अधिक राषि का वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

Okk0 l0	i/;kid dk uke	fu;fDr LFky	vof/k	vkus o tkus dk fdjk;k	vf/kd Hkxrku fd;k tek fdjk;k
60 / 26.11.91	श्री वाई आर0 पाठक	रा0व0मा0पा0 डुग्यारी	23.4.91 से 31.5.91	5	135
126 / 15.10.94	श्री जी0एल0 षर्मा	रा0व0मा0पा0 नगरोटा बगवां	29.4.94 से 28.5.94	15	300
षून्य / 21.9.04	श्रीमति प्रवीन डोगरा	रा0व0मा0पा0 मटौर	17.5.84 से 10.6.04	12	504
25 / 25.11.06	श्री सुनील मेहता	रा0व0मा0पा0 टंग	18.5.06 से 16.6.06	20	480
25 / 25.11.06	श्री वी0पी0	रा0व0मा0पा0	18.5.06 से	20	480

	बढोला	टंग	16.6.06		
21/25.10.10	डॉ0 प्रभा गिल	रा0व0मा0पा0 खनियारा	20.5.10 से 19.6.10	22	462
22/25.10.10	श्री वी0पी0 बढ़ौला	रा0व0मा0पा0 टंग	20.5.10 से 19.6.10	26	572
23/25.10.10	श्री राज कुमार	रा0व0मा0पा0 टंग	20.5.10 से 18.6.10	26	572
24./25.10.10	श्रीमति वीना कुमारी	रा0व0मा0पा0 खनियारा	20.5.10 से 19.6.10	22	462
25/25.10.10	श्री के0एस0 डडवाल	रा0व0मा0पा0 फरसेठ गंज	20.5.10 से 19.6.10	20	440

अतः संस्था स्तर पर इस तरह के समस्त प्रकरणों की छानबीन की जाये तथा नियमों के विपरीत अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली चूककर्ताओं से करके एस0पी0टी0पी0 निधि में जमा की जाये तथा भविष्य में दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते का भुगतान नियमानुसार ही किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

18 fufonk njk l vf/kd eY; ij [kjhn djuk&

खेलों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं (सामग्री) कोटेषन के आधार पर मै0 पंजाब स्पोर्टस हाउस, अम्बाला कैन्ट (हरियाणा) से क्रय की गई जिस हेतु उनके बिल नं0 5618 एवं 5619 दिनांक 18.9.08 के लिये कुल ₹35434/—का भुगतान वाऊचर संख्या 7 दिनांक 11.10.2008 द्वारा मिश्रित निधि मे से किया गया। कोटेषन की जांच में यह पाया गया कि स्पोर्टस से सम्बन्धित विभिन्न मदों के लिये कुल चार फर्मों (i) मै0 पंजाब स्पोर्टस हाऊस, अम्बाला कैन्ट (ii) मै0 कृष्णा स्पोर्ट कांगड़ा (iii) मै0 सागर स्पोर्टस धर्मषाला तथा (iv) विकास स्पोर्टस, अम्बाला कैन्ट द्वारा दरे (Rate) दिये गये थे, जिनमें कुछ मदों के लिये मैं0 पंजाब स्पोर्टस हाऊस तथा कुछ एक मदों के लिये अन्य फर्मों की दरें न्यूनतम पाई गई, परन्तु सभी मदों की खरीद के लिये आपूर्ति आदेष मै0 पंजाब स्पोर्ट हाउस को दिये गये, जिस हेतु उक्त फर्म से न्यूनतम दरों के बराबर नेगोषिएसन नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप कुछ एक मदों के लिये अधिक राषि का भुगतान किया गया जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः—

Ø0 l0	oLr| dk uke	Ekk=k	izfr oLr|	izfr oLr|	vUrj	jkf'k

			fu/kkfjr eY;	U;ure nj@eY;		
1	जैवलिन पुरूष	2	675	445	230	460
2	जैवलिन महिला	2	675	435	240	480
3	क्रॉस बार	2	650	405	245	490
4	डिस्कस पुरूष	2	525	340	185	370
5	डिस्कस महिला	2	450	315	135	270
6	विकेट ग्लव्स	2	750	375	375	750
7	बेटिंग ग्लव्स	2	750	300	450	900
8	लैग गार्ड	2	650	425	225	450
9	बेडमिन्टन रैकिट	4	550	475	75	300
10	नैट कॉटन	2	200	160	40	80
11	चैस बोर्ड	4	240	85	155	620
12	वेट लिफिटिंग कास्टयूम	2	275	145	130	260
13	वेट लिफिटिंग प्लेटस	4	125	105	20	80
14	वॉलीवाल नैट	2	550	350	200	400
					;kx	5910

अतः अधिक भुगतान की गई राषि ₹5910/—की वसूली चूककर्ताओं से करके मिश्रित निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जायें।

19 tyiku gr vfu;fer O;; djuk&

हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेष 1973 खण्ड–II अध्याय 42. के नियम 42.2 (xiv) के अनुसार केवल खेलों हेतु जलपान पर व्यय करने का प्रावधान है परन्तु चयनित महीनों के भुगतान वाउचरों की जांच में यह पाया गया कि कॉलेज प्रषासन द्वारा उपरोक्त नियमों के विपरीत जलपान हेतु व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

ok0 l0	fnukd	ftl Hkxrku fd;k x;k	fcy u0 fnukd	jkf'k	tyiku dk fooj.k	fuf/k
26	15.10.94	मदन लाल कैन्टीन	षून्य 1.10.94	475	स्वागत समारोह सत्र 94—95	मिश्रित निधि
4	27.8.99	—यथोपरि—	षून्य	777	—यथोपरि— सत्र 1999—2000	मिश्रित निधि
13, 14, 15	19.11.10	श्री विजय चौधरी (प्रा0)	षून्य / 19.11.10	1630	एवार्ड आफ ऑनर	मिश्रित निधि
12	17.4.09	सुभाष कैन्टीन ठेकेदार	14 / 18.2.09	1500	सांस्कृतिक कार्यक्रम	मिश्रित निधि
13, 14	18.10.10	मै0 डोगरू स्वीटस	971 / 14.9.10	2310	हिन्दी दिवस	मिश्रित निधि
			;kx	6992		

अतः नियमों के विपरीत व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस तरह के समस्त प्रकरणों की संस्था स्तर पर छानबीन करने उपरान्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाये अथवा अनियमित व्यय की राषि की प्रतिपूर्ति/वसूली चूककर्ताओं से करके सम्बन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जायें।

20 jxep ¼LVst½ dk fuekZ.k grq ₹19959@&dk O;; ckjs%&

वाऊचर संख्या 26 (सब वा0 123) दिनांक 20.12.97 की जांच में यह पाया गया कि ₹19959/—का व्यय, मिश्रित निधि में से मंच के निर्माण हेतु किया गया। उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

¼i½ उपरोक्त भुगतान मिश्रित निधि से किए गया है जबकि मिश्रित निधि में इस प्रकार के व्यय कोई प्रावधान नहीं है। यह व्यय भवन निर्माण निधि से किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त राषि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में वापिस जमा करवाई जाये।

¼ii½ रंगमंच के निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री/मजदूरी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्ततु नहीं किये गये जिस कारण भुगतान की राषि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाये।

21 if=dk d: en.k ckj%&

वाउचर संख्या षून्य दिनांक 8.9.2004 द्वारा मै0 सीटी लाईट प्रिन्टर पालमपुर को कालेज पत्रिका के मुद्रण हेतु, उनके बिल संख्या 7888 दिनांक 6.6.04 के लिये राषि ₹22080/–का भुगतान किया गया जिसमे निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼i½ उपरोंक्त राषि का भुगतान मिश्रित निधि मे से किया गया जबकि नियमानुसार भुगतान पत्रिका निधि से किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त राषि की प्रतिपूर्ति करके मिश्रित निधि में वापिस जमा करवाई जाये।

¼ii½ मुद्रण पर ₹25/–प्रति पत्रिका से अधिक नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि पत्रिका निधि की दर ₹25/–प्रति छात्र निर्धारित थी, जबकि पत्रिका का मुद्रण ₹64/–प्रति पत्रिका की दर से करवाया गया, जिस हेतु ₹39/–प्रति पत्रिका की दर से कुल 345 पत्रिकाओं के लिए कुल ₹13455/–का अधिक भुगतान किया गया। अनियमित प्रकार से व्यय की गई राषि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवष्यक नियमितिकरण सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके करवाया जाए अन्यथा वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाये।

¼iii½ 2003–04 के षैक्षणिक सत्र में छात्रों की संख्या केवल 245 थी जिनके लिये 345 पत्रिकाओं का मुद्रण करवाया गया। अतः 100 पत्रिकाओं के अधिक मुद्रण का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक पत्रिकाओं के मुद्रण हेतु भुगतान की गई राषि ₹6400/–(64x100) की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाये।

22 Ikgpku i=k dh [kjhn ckjs&

600 नं0 पहचान पत्रों की खरीद हेतु वाऊचर संख्या षून्य दिनांक 28.11.06 द्वारा मै0 इम्पीरियल प्रिटिंग प्रैस, धर्मषाला को उनके बिल संख्या 4510 दिनांक 7.9.06 के लिये राषि ₹6450/–का भुगतान किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) उपरोक्त राषि का भुगतान मिश्रित निधि से किया गया जबकि नियमानुसार भुगतान पहचान पत्र निधि से किया जाना अपेक्षित था, अतः उपरोक्त राषि की प्रतिपूर्ति करके, मिश्रित निधि में वापिस जमा की जाये।

(ii) क्रय की दर ₹10/–प्रति पहचान पत्र से अधिक नहीं होनी चाहिये थी, क्योंकि पहचान पत्र की दर ₹10/–प्रति छात्र निर्धारित थी, जबकि पहचान पत्रों की खरीद ₹10.75/–प्रति पहचान पत्र की दर से की गई। अतः अधिक भुगतान की गई राषि ₹450/– (.75x600) का नियमितिकरण सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके करवाया जाए अन्यथा वसूली चूककर्ताओं से की जानी सुनिष्चित की जाये।

23 jsV dkUVsDV ds vk/kkj ij [ksyks ls lEcfU/kr lkeku dh [kjhn djuk&

खेलों से सम्बन्धित विभिन्न सामान की खरीद हेतु मै0 अमित स्पोर्टस, षिमला को उनके बिल नं0 509 दिनांक 19.10.07 के लिये ₹11396/–तथा मै0 वारियर स्पोर्टस, षिमला को उनके बिल नं0 185 दिनांक 19.10.07 के लिये ₹9465/–का भुगतान क्रमषः वाउचर संख्या 3 तथा 6 दिनांक 5.11.07 द्वारा मिश्रित निधि से किया गया। अंकेक्षण को मौखिक रूप से बताया गया कि उपरोक्त खरीद रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर की गई थी परन्तु सम्बन्धित फर्मों की रेट कान्ट्रैक्ट की प्रतिलिपि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण भुगतान की गई राषि ₹20861/–(11396+9465=20861) की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण के दौरान वांन्छित अभिलेख प्रस्तुत किये जायें ताकि भुगतान की गई राषि की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

24 vuqcU/k ds fo:) fdjk;s&HkkMs dk Hkqxrku djuk&

मै0 पंजाब स्पोर्टस हाऊस, अम्बाला कैन्ट से बिल संख्या 4351 एवं 4352 दिनांक 24.10.06 के अन्तर्गत प्राप्त खेलों से सम्बन्घित सामान को, धर्मषाला कचहरी अडडा से कालेज तक पहुंचने हेतु मै0 बलवन्त रोड कैरियर धर्मषाला को ₹200/–का भुगतान मिश्रित निधि से किराये भाड़े के रूप में किया गया, जबकि कोटेषन के अनुसार मै0 पंजाब स्पोर्टस हाऊस अम्बाला कैन्ट की दरें एफ0ओ0आर0 थी जिस कारण ₹200/–की कटौती उक्त फर्म से बिल संख्या 4351 एवं 4352 से की जानी अपेक्षित थी परन्तु कालेज

प्रषासन द्वारा ₹200 ⁄ –की कटौती किये बिना ही बिलों का भुगतान किया गया। अतः ₹200 ⁄ –की वसूली चूककर्ताओं से की जानी सुनिष्चित की जाये।

25 fcuk dkV'ku ds lkeku dh [kjhn ckjs&

हिमाचल प्रदेष वित्त नियमावली 2009 के नियम 97 के अनुसार, प्रत्येक प्रकरण में ₹3000 ⁄ – तक मूल्य के सामान की खरीद बिना कोटेषनो के की जा सकती है बषर्ते कि पूरे वित्तीय वर्ष की बिना कोटेषन की कुल खरीद सम्मिलित (Cummulative) रूप में ₹50,000 ⁄ –से अधिक न हो जिस हेतु निम्न प्रमाण पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी को देना होगाः– " I am personally satisfied that the goods purchased are of the requsities quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price."

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि कालेज प्रषासन द्वारा उपरोक्त नियमों की अवहेलना करते हुये, कुछ एक प्रकरणों में ₹3000 ⁄ –तक के सामान की खरीद बिना कोटेषने की जिनका वर्णन इस प्रकार से हैः–

0kk0 l0 fnukd	oLrq dk uke@ek=k	fcy dk fooj.k	jkf'k@fuf/k dk uke
16 18.10.10	Dust Bins (4 No.)	Bill No. 2995 dt 23-9-10 M/S Gupta Bros. D/Shala	1000 (A.F)
18 18.10.10	Momento (6 No.)	Bil No. 282 dt. 13-9-10 M/S CERATIONS D/Shala	1502 (A.F)
19 18.10.10	P/F Singn Board (1 No.)	Sh. Radhe Sham Painter D/shala	2990 (A.F)
19 16.3.12	Momentos	Bill No. 508 dt. 28-2-12 M/S Creations D/Shala	2940 (A.F)

उपरोक्त वर्णित प्रकरणो में नियमानुसार न ही आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया था तथा न ही कोई ऐसा अभिलेख तैयार किया गया था जिससे इस तथ्य का पता चल सके कि अमुक वित्तीय वर्ष में बिना कोटेषन के कुल कितने मूल्य के सामान की खरीद की गई है। अतः आवष्यक अभिलेख तैयार न करने व नियमों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

26 lEcfU/kr fuf/k ls Hkqxrku u djds vU; fuf/k ls Hkqxrku djuk&

चयनित महीनों की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणो में भुगतान की गई राषि को सम्बन्धित निधि में बुक न करके अन्य निधि में बुक किया गया था जिससे निधियों की सही वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

0kk0 l0 fnukad	Hkqxrku dh xbZ jkf'k	Hkqxrku dk fooj.k	ftl fuf/k ls Hkqxrku fd;k x;k	ftl fuf/k ls Hkqxrku fd;k tkuk Fkk
4 17.4.09	800	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु M/S भारत टैन्ट हाऊस को भुगतान	(A.F)	Student Cultural Activity fund
15 2.3.12	3500	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु	(A.F)	-do-
21 16.3.12	5570	नगर परिषद को गृह कर का भुगतान	Breadage Fund	Govt. Contingencies
127 18.10.94	46202	प्रोस्पैक्ट की प्रिटिंग हेतु M/S Imperial प्रिन्टिंग प्रैस धर्मषाला को भुगतान	Megine Fund	(A.F)
17 20.4.09	1985	कार्यालय के बिजली के बिल का भुगतान	(A.F)	Govt. Contingencies

अतः संस्था स्तर पर इस तरह के समस्त प्रकरणों की छानबीन की जाये व गलत निधि से भुगतान की गई राषियों की प्रतिपूर्ति उचित निधि/स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाये।

27 Hkqxrku dh xbZ jkf'k dks lEcfU/kr Hkqxrku jftLVj esa ntZ u djuk&

चयनित महीनों के भुगतान वाऊचरों की जांच मे यह पाया गया कि कालेज प्रषासन द्वारा सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान तो कर दिए गये है परन्तु भुगतान की गई राषि को सम्बन्धित भुगतान रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी भुगतान का दोबारा भुगतान होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। भुगतान रजिस्टर में दर्ज किये बिना, भुगतान की गई राषियों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

Ø0 l0	ok0 l0 fnukd	jkf'k	Hkqxrku dk fooj.k	fVIi.kh
1	20 26.12.96	434	श्री मोहिन्द्र विज को यात्रा दावा भत्ता का भुगतान (मिश्रित निधि)	
2	8 13.11.07	13485	गर्ल्ज हास्टल के बिजली के बिल का भुगतान (HCF)	
3	11 17.11.07	2133	बिजली के बिल का भुगतान (A.F)	
4	12 19.11.07	5566	पानी के बिल का भुगतान (A.F)	
5	26 20.11.07	4840	पानी के बिल का भुगतान (HCF)	
6	13 15.10.08	7258	बिजली के बिल का भुगतान (HCF)	
7	6 4/2009	150	(NCTE) को पत्रिका हेतु अंषदान (A.F)	
8	14 20.4.09	8951	गर्ल्ज हास्टल के बिजली के बिल का भुगतान (HCF)	
9	17 20.4.09	1985	कार्यालय के बिजली के बिल का भुगतान (A.F)	

10	10 10/2010	12357	बिजली के बिल का भुगतान (HCF)
11	7 2.3.12	6110	बिजली के बिल का भुगतान (HCF)

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि बिजली एवं पानी से सम्बन्धित भुगतानो को मीटर wise/ बिल wise एक रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा यात्रा भत्ता दावा बिलो को T.A. चैक रजिस्टर में इन्डिविजुवल वाईस दर्ज किया जाये एवं इसी प्रकार अन्य भुगतान की गई राषियों को भी सम्बन्धित भुगतान रजिस्टरों में दर्ज किया जाये ताकि दोहरे भुगतान की सम्भावना से बचा जा सके।

28 ykbl IUl Qhl d: :lk e: ₹44155@&dh olyh u djuk&

कालेज प्रषासन द्वारा दिनांक 1.4.06 से गर्ल्ज छात्रावास वार्डन को छात्रावास के अन्दर Type-IV के बराबर के आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिस हेतु लाईसैन्स फीस की वसूली तथा एच0आर0ए0 की कटौती से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः दिनांक 1.4.06 से 31.7.12 तक लाईसैन्स फीस तथा भुगतान किये गये एच0आर0ए0 की गणना नियमानुसार करके उक्त राषि की वसूली तत्कालीन छात्रावास वार्डन से करके छात्रावास निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाये क्योंकि आवास का आबंटन कालेज प्रषासन द्वारा किया गया है न कि जनरल पूल से 1

लाईसैन्स फीस (Type-IV)	1.4.06 से 19.9.10 तक @449P.M (53M-19 days)	24081
	20.9.10 से 31.7.12 तक @989 P.M. (22M-11 days)	20074
	कुल राषि	44155

भुगतान की गई एच0आर0ए0 की राषि (1.4.06 से 31.7.12)

उक्त अधिकारी/कर्मचारी को मकान किराए के रूप में किये गए भुगतान की संस्था स्त्तर पर गणना की जाये।

29 Nk=kokl ¼xYt½ okMZu ls fctyh@ty iHkkj dh olwyh u djuk%&

कालेज प्रषासन द्वारा दिनांक 1.4.06 से गर्ल्ज छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिस हेतु दिनांक 1.4.06 से छात्रावास वार्डन को Type-IV क बराबर का आवास छात्रावास के अन्दर उपलब्ध/आबटिंत किया गया है। वार्डन के लिये अलग से बिजली/पानी के मीटर की व्यवस्था नहीं है अर्थात छात्राओं एवं वार्डन द्वारा बिजली एवं पानी का उपयोग सांझे रूप में किया जा रहा है, परन्तु वार्डन द्वारा छात्रावास में उपयोग की जा रही बिजली/पानी हेतु किसी भी प्रकार वसूली नहीं की गई बिजली प्रभार हेतु यदि ₹300/–प्रति माह एवं पानी प्रभार हेतु ₹50/–प्रति माह को आधार माना जाये तो 1.4.06 से 31.7.12 तक वसूली योग्य राषि ₹26600/–बनती है। अतः बिजली/जल प्रभार की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये, अन्यथा दिनांक 1.4.06 से 31.7.12 तक की बिजली/जल प्रभार की गणना संस्था स्तर पर आंकलन करके, उक्त राषि की वसूली तत्कालीन छात्रावास वार्डन से की जानी सुनिष्चित की जाये तथा भविष्य मे भी नियमानुसार बिजली/जल प्रभार की वसूली हेतु समुचित कदम उठाए जाये।

30 Nk=kokl ifjlj ¼**Hostal attendent**½ dh fu;qfDr ckjs%&

हिमाचल प्रदेष विषविद्यालय के प्रथम अध्यादेष 1973 खण्ड–II के अध्याय 42 के नियम 42.2 (XL) के अनुसार gardner, Library Peon एवं Sports Peon को सम्बन्धित निधि से वेतन का भुगतान किया जा सकता है, परन्तु चयनित महीनों के भुगतान बिलों की जांच में यह पाया गया कि होस्टल निधि (HCF) मे से छात्रावास परिसर के वेतन का भुगतान किया गया था, जिसकी नियुक्ति सें सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। छात्रावास परिसर को वेतन के रूप में भुगतान की गई राषि के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

Ø0 l0	0kk0 l0 fnukad	Nk=kokl ifjlj dk uke	Hkxrku dh xbZ jkf'k	fVIi.kh
1	9/13.11.07	श्रीमति चन्दा देवी	1500	माह 10/2007 का वेतन
2	5/17.4.'09	श्रीमति राजकुमारी	2000	माह 3/09 का वेतन
3	30/26.10.10	श्रीमति राजकुमारी	2800	माह 9/10 का वेतन
4	8/2.3.12	श्रीमति राजकुमारी	3000	माह 2/12 का वेतन

31 Ykkbczsjh@gkLVy tekur jkf'k rFkk **cautions fees** dk okfil ykVkus ckjs&

जमानत/प्रतिभूति राषियो को वापिस करने सम्बन्धी अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि षैक्षणिक सत्र की समाप्ति उपरान्त, बैंक से प्रतिभूति राषियों को एक मुष्त आहरित करके, विभिन्न छात्रों में नकदी (Cash)के रूप में वितरित किया जाता था तथा वितरण उपरान्त यदि राषि षेष बच जाए तो उसे सम्बन्धित निधि में वापिस जमा करवाया जाता था, परन्तु कुछ एक प्रकरणों में षेष बची राषि को वापिस सम्बन्धित निधि में जमा नहीं करवाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

'k{kf.kd l=	vkgfjr dh xbZ jkf'k	vkgj.k dh fnukad	forfjr dh xbZ jkf'k	'kk"k jkf'k ftls okfil tek ugh fd;k	forj.k jftLVj i`0 l0	fuf/k	fVIi.kh
1994–95	12000	7.7.95	11750	1250	75 से 83	लाइब्रेरी	
	1000	10.10.95				हास्टल	
1998–99	21275	30.6.99	31600	9675	7 से 14	Caution Fees A.F.	
	20000	12.8.99					
1999–2000	46000	6/2000	44000	2000	15 से 26	Cautions Fees	
		योग		₹12925			

अतः षेष राषि को वापिस सम्बन्धित निधियों में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उपरोक्त वर्णित राषि को चूककर्ताओं से अविलम्ब वसूल करके सम्बन्धित निधियों में वापिस जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

इसके अतिरिक्त षैक्षणिक सत्र 1998—99 की प्रतिभूति राषियों को वापिस लौटाने हेतु मिश्रित निधि से दिनांक 12.8.99 को ₹20000/—की राषि आहरित की गई जो कि उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः ₹20000/—की प्रतिपूर्ति Cautions fees/LibSecutrity निधि से करके, वापिस मिश्रित निधि में जमा किये जाने सुनिष्चित किये जाये।

32 ifrHkfr jkf'k;k dk **old student Association** dk ₹120300@&dh jkf'k vfu;fer@vufpr idkj l gLrkrfjr djuk&

प्रतिभूति राषियों को वापिस लौटाने सम्बन्धित अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि कालेज प्रषासन द्वारा उन प्रतिभूति राषियो को O.S.A निधि में हस्तांतरित कर दिया गया, जिनकी मांग छात्रों द्वारा नहीं की गई जबकि नियमानुसार मांग न की गई प्रतिभूति राषि को जब्त किया जाना अपेक्षित था। O.S.A Fund में हस्तांतरित की गई राषि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

'k{kf.kd l=	**O.S.A** e gLrkrfjr jkf'k	Nk=k l0 dh	fuf/k@nj
2005—06	33900	113	लाईब्रेरी/₹100 प्रति छात्र Caution/₹200 प्रति छात्र
2006—07	39900	133	Lib/`100/प्रति छात्र= Caution//₹200प्रति छात्र
2007—08	46500	155	Lib/₹100/प्रति छात्र= Caution/₹200 प्रति छात्र

ओल्ड स्टूडैन्ट एसोसिऐषन निधि को अनियमित प्रकार से हस्तांतरित राषि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उपरोक्त राषि को वापिस सम्बन्धित निधियो मे जमा किया जाना भी सुनिष्चित किया जाये। उपरोक्त प्रकरण आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाया जाता है।

33 LVkd e: iM: lkeku dk tkjh fd;s fcuk] lkeku dh [kir n'kkZuk&

स्पोर्टस स्टॉक रजिस्टर (ii) की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणो में स्टॉक से सामान को तिथि/माह वार जारी नहीं किया गया व इसे एक मुष्त रूप में सामान की खपत दर्षा कर अन्तषेष निकाला गया था जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकता कि वास्तव में कितना सामान वास्तव मे जारी किया गया व कितने सामान की खपत की गई। एक मुष्त रूप में खपत किये गये सामान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Ø0l0	Lkkeku dk uke	[kir dh xbZ ek=k	LVkd jftLVj ¼ii½ i`0l0
1	वालीबॉल	39 नं0	62
2	बैडमिन्टन नैट	4 नं0	66
3	बास्केट बॉल	2 नं0	7
4	बेडमिन्टन पोल	1 सेट	9
5	डिस्कस	2 नं0	12
6	बेडमिन्टन रेकेटस	25 नं0	58
7	वालीबॉल नैट	2 नं0	65

अतः पाई गई त्रुटि को ध्यान में रखते हुए अनुचित प्रकार से जारी/अनुपयोगी किये बिना सामान की एक मुष्त रूप में खपत दर्षाकर स्टॉक से सामान को खारिज करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। संस्था स्त्तर पर आवष्यक जांच उपरान्त पाए गए सामान के दुरूपयोग हेतु चूककर्ताओ से वसूली की जानी सुनिष्चित की जाये।

34 LVkd dk iR;{k lR;kiu u fd;k tkuk&

विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों की जांच में यह पाया गया कि विभिन्न निधियों के स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 1998 के उपरान्त नहीं करवाया गया जबकि हिमाचल प्रदेष वित्त नियम की धारा 15.17 के अनुसार स्टॉक में पड़े समस्त सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः नियमों की अनुपालना न करने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में न दोहराया जाए।

35 LVkd e: iM: lkeku dk vxz"khr ¼C/F½ u djuk&

स्पोर्टस स्टॉक रजिस्टरों की जांच मे यह पाया गया कि वर्ष 2004 मे स्टॉक रजिस्टर नं0 II को बन्द करने पर उसमें पड़े सामान में से कुछ को नये स्टॉक रजि0 नं0 (III)(A) एवं (III)(B)में अग्रेषीत नहीं किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

Sr. No.	Name of Article	Quantity	Stock Reg. No. II Page No.	Remarks
1	Iron Polis	1 No.	23	
2	Measuring Tape	2 No.	27	
3	Steel Almirah	2 No.	29	
4	Cricket Bat	2 No.	60	
5	Volley Ball Net	2 No.	65	
6	Badminton Net	2 No.	66	
7	Criket wicket Gloves	1 Pair	70	
8	Table Tennis Table	1 No.	75	
9	Boxing gloves	2Pairs.	79	
10	Punchaing Pads	1 Pair	80	
11	Punching gloves	2 Pairs	81	
12	Squal Stand	1 Set	82	
13	Weight lifting set	1 Set	83	Extra Rods and Plates
14	Javlin	6 No.	84	

15	Hammer	1 No.	85
16	Weight Lifiting Bench	1 No.	86
17	Weight Lifiting Belt	2 No.	87
18	Stop watch	1 No.	92
19	Badminten Reckets	12 No.	93
20	T.T. Bats	11 No.	94
21	T.T. Net	1 No.	95
22	Chess Timer	2 No.	97

अतः स्टॉक मे ंपड़े सामान को आगामी रजिस्टर में अग्रेषित न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है तथा सामान के दुरूप्योग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त वर्णित सामान का प्रत्यक्ष सत्यापनोपरान्त स्टॉक प्रविष्टियॉ अविलम्ब की जाए व कम पाए गए या सामान के उपलब्ध न होने की अवस्था में आवष्यक वसूली सम्बन्धित कर्मचारियो से की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

36 ₹2650 dh jkf’k d lkeku dh LVkd jftLVj e ifof"V u djuk&

खेलों से सम्बन्धित विभिन्न मदो की खरीद हेतु मै0 अमित स्पोर्टस षिमला को उनके बिल संख्या 509 दिनांक 19.10.07 के लिये कुल राषि ₹11396/–का भुगतान वाउचर संख्या 3 दिनांक 5.11.07 द्वारा मिश्रित निधि से किया गया। उपरोक्त बिल के अन्तर्गत खरीदे गये सामान में से 20 No. leather Cricket Balls की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी, जिनका मूल्य तत्कालीन बिल के अनुसार 20x132.50=₹2650 था। स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करने से स्पष्ट है कि उक्त सामान वास्तव में संस्था के पास पहुंचा ही नहीं तथा बिल के अनुसार ₹2650/– का भुगतान सम्बन्धित फर्म को कर दिया गया। अतः ₹2650/– की वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित चूककर्ताओं से की जाये अथवा उपरोक्त सामान की प्रतिपूर्ति वर्तमान प्रचलित दरो ंपर की जानी सुनिष्चित की जाये।

37 Nk=k d Nk=okl d lkeku d n : i ;kx ckj&

प्रधानाचार्य, षिक्षक महाविद्यालय के पत्र संख्याःजी0सी0टी0ई0/लेखा परीक्षा–फंडस/2012–635–36 दिनांक 31.7.12 द्वारा अंकेक्षण को यह अवगत करवाया गया कि छात्रों के छात्रावास का संचालन 10/89 के पहले से ही किया जा रहा था जिसे की षैक्षणिक सत्र 1999–2000 के उपरान्त बन्द कर दिया गया था।

अंकेक्षण जांच में यह पाया गया कि होस्टल को बन्द करने उपरान्त स्टॉक मे ंपड़े सामान को न तो कमेटी गठित करके बेचा गया तथा न हीं अनुपयोगी घोषित किया गया, अपितु दिनांक 1.4.06 से षुरू किय गये गर्ल्ज होस्टल हेतु नया सामान खरीदा गया। स्टॉक में सामान होने के बावजूद, नया सामान खरीदने से स्वतः ही स्पष्ट है कि, पुराने सामान का कालेज प्रषासन द्वारा दुरूपयोग किया गया प्रतीत होती है। अतः संस्था स्त्तर पर इस प्रकरण की छानबीन की जाये तथा होस्टल को बन्द करने उपरान्त स्टॉक में पड़े समस्त सामान के मूल्य की प्रतिपूर्ति चूककर्ताओं से की जानी सुनिष्चित की जाये। स्टॉक में पड़े सामान के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

Ø0l0	oLrq dk uke	Ekk=k	fVIi.kh
1	Steel Folding Bed	19 नं0	Stock Reg. No. 10
2	Coocker	2 नं0	-do- 11
3	Gadda Cotton	3 नं0	-do- 19
4	Razai	3 नं0	-do- 19
5	Pillous Cotton	3 नं0	-do- 19
6	Bed sheets Singal	6 नं0	-do- 19
7	Patila (silver)	5 नं0	-do- 21
8	Gas Stove	2 नं0	-do- 59
9	Table	17 नं0	-do- 47
10	Water Storage Tank	2 नं0	-do- 45
11	Thali	25 नं0	-do- 36
12	Glass Steel	25 नं0	-do- 34
13	Donga Steel	6 नं0	-do- 35

38 vfxze jkf'k;ksa dk lek;kstu ckjh&

अग्रिम रजिस्टर की जांच मे यह पाया गया कि दिनांक 31.3.12 को ₹139915/– की अग्रिम राषि समायोजन हेतु षेष पड़ी थी, जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "ई" पर दिया गया है। परिषिष्ट में वर्णित अग्रिम राषियां वर्ष 1988 से लम्बित पड़ी है। इतनी लम्बी अवधि से अग्रिम राषियां निपटारे हेतु षेष पाई जाना अत्यन्त ही आपत्तिजनक है तथा इन राषियों के दुरूपयोग की सम्भावना को भी दर्षाता है। नियमानुसार अग्रिम राषि के प्रयोजन/उदेष्य के पूर्ण हो जाने के तुरन्त पष्चात समायेाजन कर लिया जाना अपेक्षित था। पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अग्रिम राषियों के समायोजन/वसूली नियमानुसार दण्डात्मक ब्याज सहित किये जाने हेतु अविलम्ब ठोस कदम उठाये जाये। भविष्य में अग्रिम राषियों का समायोजन उदेष्य की पूर्ति के पष्चात तुरन्त किया जाना भी सुनिष्चित करवाया जाए अन्यथा समस्त राषि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर ली जाए।

39 vfHkys[k iLrqr u djus ckjs&

अंकेक्षण के दौरान कुछ एक अभिलेख आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस सम्बन्ध में कालेज प्रषासन को मौखिक एवं विभिन्न अंकेक्षण अधियाचनाओ द्वारा अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक वांन्छित अभिलेख आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

Ø0 l0	ok0 l0@ekg	jkf'k	fuf/k	fVIi.kh
1	माह 12/95	–	–	वर्ष 95–96 से सम्बन्धित भुगतान वाउचर प्रस्तुत नहीं किये
2	माह 12/98	–	–	वर्ष 98–99 से सम्बन्धित भुगतान वाउचर प्रस्तुत नहीं किये
3	24/जून 2000	1134	SPTP	
4	24/जून 2000	1165	A.F.	
5	25/जून 2000	7377	A.F.	(478+5411+403+360+80+645=7377)
6	षून्य/नवम्बर 2005	761	Health fund	
7	11/अप्रैल 09	2000	Cultural Fund	Adjustment Voucher
8	षून्य/नवम्बर 2005	380	SPTP	

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अभिलेख जैसे कि प्रोस्पैक्टस की बिक्री, कैन्टीन किराये सम्बन्धी संचयिका ब्यॉज (Boys) हॉस्टल, गर्ल्ज हॉस्टल की धरोहर राषि सम्बन्धी अभिलेख भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वांन्छित अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व आगामी अंकेक्षण के दौरान वांन्छित अभिलेख प्रस्तुत किये जाये ताकि भुगतान की गई राषि/प्राप्त राषि की पुष्टि की जा सके।

40 y/kq vkifÙk foojf.kdk&यह अलग से जारी नहीं की गई है।

41 fu"d"kZ& लेखाओ के रख रखाव में अधिक सुधार की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :11(2)194/69–फिन(एल0ए0)खण्ड–3 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

iathd`r 1. प्राचार्य, राजकीय षिक्षक षिक्षा महाविद्यालय, धर्मषाला, तहसील धर्मषाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

2 प्रधान सचिव (षिक्षा) हि0प्र0 षिमला–2

3 निदेषक, षिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला–171001.

4 श्री राजवीर सिंह, अ0अ0 द्वारा.........................

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

ifjf'k"V **"A"**

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/2012 के पैरा संख्या 1 में वर्णित।

xr vads{k.k izfrosnu&

प्राचार्य, राजकीय षिक्षक षिक्षा महाविद्यालय धर्मषाला के पत्र संख्या षिक्षा/जी0सी0टी0ई0/आडिटफंड/2012–232 दिनांक 31.7.12 के द्वारा दी गई सूचना अनुसार संस्था के कार्यालय में अवधि 10/73 से 12/75 तक की ही अंकेक्षण रिर्पोट उपलब्ध थी, संस्था द्वारा अनिर्णीत पैरा के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरा की नवीनतम स्थिति निम्न वर्णित है।

vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 6@58 l 6@59

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत

vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 7@59 l 2@61

1	पैरा–5 (जी)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6	अनिर्णीत	
3	पैरा–7	निर्णीत	(₹55/–की वसूली रसीद संख्या 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की गई।)
4	पैरा–8	अनिर्णीत	
5	पैरा–10 (a)	अनिर्णीत	
6	पैरा–10 (b)	अनिर्णीत	
7	पैरा–10 (c)	निर्णीत	(₹12/–की वसूली रसीद संख्या 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की)
8	पैरा–10 (d)	निर्णीत	(₹0.50/–की वसूली रसीद संख्या 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की)
9	पैरा–19 (e)	अनिर्णीत	

Inspection Note of Assistant Examiner’s dated 24.8.01

1	पैरा– (iii)	अनिर्णीत
2	पैरा–(iv)	अनिर्णीत

3	पैरा–(vii)	अनिर्णीत
4	पैरा–(xi)	अनिर्णीत
5	पैरा–(xiii)	अनिर्णीत
6	पैरा–(xvi)	अनिर्णीत

vkd{k.k ifrosnu vof/k 3@62 ls 9@69

	पैरा–6 (a)	अनिर्णीत
	पैरा–6 (b)	अनिर्णीत
	पैरा–7	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(i)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(ii)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(iii)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(vi)	निर्णीत (₹16.88 की वसूली रसीद सं0 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की)
	पैरा–8 (a)(viii)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(ix)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(x)(i)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(x)(ii)	निर्णीत (₹125/–की वसूली रसीद सं0 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की)
	पैरा–8 (a)(x)(iii)	निर्णीत (₹60/–की वसूली रसीद सं0 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की)
	पैरा–8 (a)(x)(iv)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(xi)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(xiii)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(xiv)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (a)(xv)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (b)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (c) (ii)	अनिर्णीत

पैरा–8 (c) (iii) अनिर्णीत

पैरा–8 (e) (i) अनिर्णीत

पैरा–8 (e) (ii) अनिर्णीत

पैरा–9 (a) अनिर्णीत

पैरा–9 (b) अनिर्णीत

पैरा–9 (c) अनिर्णीत

vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 10@69 l 9@73

पैरा–4 (i) अनिर्णीत

पैरा–4 (b) निर्णीत (₹42 / –की वसूली रसीद संख्या 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की)

पैरा–5 (b) अनिर्णीत

पैरा–6 (a) अनिर्णीत

पैरा–6 (b) अनिर्णीत

पैरा–6 (c) अनिर्णीत

पैरा–6 (d) अनिर्णीत

पैरा–6 (f) अनिर्णीत

पैरा–6 (h) अनिर्णीत

पैरा–6 (b)(i) अनिर्णीत

पैरा–6 (b)(ii) अनिर्णीत

पैरा–7 (b) निर्णीत (₹9.80 / –की वसूली रसीद संख्या 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की)

पैरा–8 (v) अनिर्णीत

पैरा–8 (viii) अनिर्णीत

पैरा–8 (x) अनिर्णीत

पैरा–8 (xi) अनिर्णीत

पैरा–9 (iii) अनिर्णीत

पैरा–9 (iv) निर्णीत (₹10 / –की वसूली रसीद संख्या 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की)

पैरा–9 (vi) अनिर्णीत

पैरा–9 (vii) अनिर्णीत

पैरा–10	अनिर्णीत
पैरा–11	अनिर्णीत
पैरा–12	अनिर्णीत
पैरा–13	अनिर्णीत
पैरा–14	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 10@73 l 12@75

पैरा–3	अनिर्णीत	
पैरा–4	अनिर्णीत	
पैरा–5 (a)	अनिर्णीत	
पैरा–5 (b)	अनिर्णीत	
पैरा–6 (a)	निर्णीत	(₹16.20/–की वसूली रसीद संख्या 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की)
पैरा–6 (b)	निर्णीत	(₹40/–की वसूली रसीद संख्या 91010 दिनांक 3.8.12 द्वारा की)
पैरा–7	अनिर्णीत	
पैरा–8 (a)	अनिर्णीत	
पैरा–8 (b)	अनिर्णीत	
पैरा–9 (c)	अनिर्णीत	
पैरा–9	अनिर्णीत	
पैरा–10	अनिर्णीत	
पैरा–11 (a)	अनिर्णीत	
पैरा–11 (b)	अनिर्णीत	

vd{k.k ifronu 1@76 l 9@89

अवधि 1/76 से 9/89 का अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध न होन के कारण नवीनतम स्थिति नहीं दर्षाई गई है। पैरा 1 में दी गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए निपटारे हेतु तुरन्त कार्यवाही की जाए।

y/k vkifŸk;k

Ø0 l0	vof/k	vkifÙk Øekad	fVIi.kh
1	7/59 से 2/61 तक	1 से 12	
2	3/61 से 2/62 तक	It was not traced out and put up to audit	
3	6/62 से 9/69 तक	1, 2 (Parts)5,6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 (Parts) 15 to 27, 29 to 33, 35, 38, to 44, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58 एवं 82	अनिर्णीत
4	10/69 से 9/73 तक	1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14 (Parts) 15, 17 to 19, 20(Parts) 29, 34	अनिर्णीत
5	10/73 से 12/75 तक	1 से 17	अनिर्णीत
6	1/76 से 9/89 तक	लघु आपत्ति विवरणिका उपलब्ध न होन के कारण नवीनतम स्थिति नहीं दर्षाई गई है।	